p>

Regarding problems faced by the people living near Indo-Pak border region.

श्री जुगल किशोर (जम्मू) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान विशेष तौर पर गृह मंत्रालय का ध्यान जम्मू क्षेत्र के उन लोगों की तरफ दिलाना चाहता हूं जो इस समय बहुत गंभीर समस्या में हैं। वे अपने इंसाफ के लिए कई बार धरने और प्रदर्शन भी कर चुके हैं। भारत-पाक सीमा पर अखनूर और बलवाल के नजदीक दो गांव हैं। कारगिल युद्ध के दौरान वहां कांटेदार तार बंदी की गई। वहां समुआ और वपयाल दो गांव ऐसे हैं जो पाकिस्तान की सीमा की ओर तार बंदी के अंदर हैं। उन दोनों गांवों में 60 घर हैं। गांव वाले लोग अपने घरों में नहीं जा सकते, वहां नहीं रह सकते क्योंकि बीएसएफ उन्हें इजाजत नहीं देती। उन्हें उन घरों की कीमत भी नहीं दी जाती। इसके अलावा कांटेदार तार के उस पार पाकिस्तान की तरफ कई हजार कैनाल भूमि ऐसी है जिसकी फसल का मुआवजा भी सरकार उन्हें नहीं देती।

मेरा आपके माध्यम से गृह मंत्रालय और सरकार से कहना है कि ये वे देशभक्त लोग हैं जो बार्डर पर रहते हैं और बार्डर की रक्षा भी करते हैं। इनकी जमीन तार के उस पार है और घर भी तार के उस पार है, न इनको घर की कीमत दी जाती है न ही फसल का मुआवजा दिया जाता है, इन लोगों ने क्या गुनाह किया है? मेरा आपके माध्यम से गृह मंत्रालय से प्रार्थना है कि इनको तुरंत घरों की कीमत और मुआवजा दिलाया जाए। गृह मंत्री जी इस क्षेत्र में प्रवास करें और अपनी आंखों से देखें तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि ये लोग कितने दुःख दर्द का सामना कर रहे हैं।

माननीय सभापति : श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री रामवरण बोहरा और डॉ. मनोज राजोरिया को श्री जुगल किशोर शर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।